

पचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

ण संख्या - 65/2025

ान :

जा पुत्री प्रमोद कुमार

मला पत्नी प्रमोद कुमार

वेता पत्नी अमन

जाति विश्णोई निवासीयान चन्दूरवाली तहसील  
टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वनाम्

वादीगण

मोद कुमार पुत्र श्रीराम

मन पुत्र प्रमोद कुमार

हसीलदार राजस्व टिब्बी

जाति विश्णोई निवासीयान चन्दूरवाली तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88, राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री महावीर वर्मा

2 अधिवक्ता श्री करनैल सिंह

:- वादीगण

:- प्रतिवादीया

डिक्री


दिनांक.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महावीर वर्मा व करनैल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि क. वादीया सं० 1 पूजा को प्राप्त आराजी:- चक नं० 18 एनजीसी के प०न० 198 / 260 मु० 32 किलानं० 25/1/228, 25/2/025 है० गै०मु० खाला, प०न० 198/261 मु० 39 किलानं० 5/1/.202, 5/2/051 है० गै०मु० खाला, 6/1/.228, 6/2/025 है० गै०मु० खाला, 15/1/228, 15/2/025 है० गै०मु० खाला, 16/1/228, 16/2/025 है० गै०मु० खाला, 25 / 1 / 228, 25/2/025 है० गै०मु० खाला कुल 1.518 है० मय गै०मु० ख. वादीया सं० 2 कमला को प्राप्त आराजी रु- चक नं० 18 एनजीसी के प०न० 198 / 260 मु० 32 किलानं० 17 / 253, 24 / .253, प०न० 198 / 261 मु० 39 किलानं० 4/1/ 228, 4/2/025 है० खाला, 7, 14, 17, 24/1.265 है० कुल 1.771 है० ग. वादीया सं० 3 श्वेता को प्राप्त आराजी रु - चकनं० 18 एनजीसी के प०न० 198 / 260 मु० 32 किलानं० 18/..253, 23/253, प०न० 198/261 मु० 39 किलानं० 3/1/ 228, 3/2/025 है० खाला, 8, 13, 18, 23 कुल 1.771 है० इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 18 एनजीसी के खाता सं० 54/50 मे से प्रतिवादी सं० 1

का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी राक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पदे एवं सहायक कलेक्टर  
टिब्बी।